(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 56/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 03 अगस्त, 2018

सा.का.नि.   (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, 04 अगस्त, 2018 से दूसरे परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“बशर्ते और भी कि, -

(क) क्रम संख्या 14क के समक्ष की प्रविष्टियां और

(ख) दूसरा परन्तुक,

18 सितम्बर, 2018 से लागू होंगे” ।

[फाइल संख्या 341/15/2018- टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड ((i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 54/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 20 जुलाई, 2018, सा.का.नि. 667 (अ), दिनांक 20 जुलाई, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है ।